

प्रथम सूचना रिपोर्ट

( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता )

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2021  
प्र.इ.रि.स ... 25/22 दिनांक ... 29/01/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018  
(2) अधिनियम भा.द.स. - धाराएं -  
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं -
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ... 673 ... समय ... 11:30 AM  
(2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 28.01.2022 समय 08.36 ए.एम.  
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 27.01.2022 समय 01:30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटना स्थल : -  
(1) थाना से दिशा व दूरी - बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 415 किलोमीटर  
(2) पता-मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर नम्बर 4 जिला उदयपुर।  
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....  
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता -  
परिवादी  
(1) नाम : श्री वालचंद डांगी  
(2) पिता का नाम : श्री चतराजी डांगी  
(3) आयु : 48 साल  
(4) राष्ट्रियता : भारतीय  
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....  
(6) व्यवसाय : व्यापार  
(7) पता : ग्राम उथरदा तहसील सलुंबर जिला उदयपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :  
श्रीमती हीना बोड पत्नी श्री पुनम चन्द मीणा उम्र- 31 वर्ष निवासी कनावतफला, उथरडा  
पंचायत समिति सलुंबर हाल निवास मकान नम्बर 461, सेवा नगर सेक्टर नम्बर 4  
जिला उदयपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत उथरडा पंचायत समिति सलुंबर जिला उदयपुर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण -
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे )  
कम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति  
1. भारतीय चलन मुद्रा 3500 रुपये परिवादी श्री वालचंद से आरोपिया  
श्रीमती हीना द्वारा अपने पदीय हैसियत से किये जाने वाले कर्तव्यों के निष्पादन  
निःशुल्क जारी पट्टों की रजिस्ट्री करवाने में परिवादी श्री वालचंद डांगी से अवैध  
पारितोषण के रूप में 5000 रुपयें रिश्वत राशि की मांग कर उसमें से 1000-1500  
रुपयें कम कर प्राप्त करने की सहमति प्रदान कर 3500 रुपयें रिश्वत राशि अपने  
हाथों से ग्रहण करना
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य - 3500 रुपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/चू. डी. केस संख्या ( अगर हो तो )
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)



सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
उदयपुर

विषय :- पट्टा की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर उपर के पैसे रिश्वत के रूप में लेने के नाम की शिकायत।

महादेयजी,

निवेदन है कि मैं वालचन्द डांगी पुत्र चतराजी डांगी निवासी उथरदा त. सलूम्बर जि. उदयपुर (राज) का रहने वाला हूँ। प्रशासन गांवो के संग के अभियान में ता. 08/11/21 के महिने में मुझे प्रार्थी को पट्टा दिया गया था, यह पट्टा मेरे नाम पर ग्राम पंचायत उथरदा द्वारा जारी किया गया था। उक्त पट्टा मेरे निवास घर का है इस पट्टे की रजिस्ट्री सलूम्बर रजिस्ट्रा कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करवाने है। मैने इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत उथरदा के सरपंच श्रीमति हिना बोड से सम्पर्क किया तो उसने कहां की एक महा के बाद के बाद रजिस्ट्री करवाउगी मेरे द्वारा काफी निवेदन करने पर कहा कि सलूम्बर आने का खर्चा लगेगा। सभी पंचायत वाले रजिस्ट्री का खर्चा लेते है। आपको भी खर्चा-पानी देना पडेगा मेरे द्वारा काफी निवदेन करने पर 5000/- पाँच हजार रूपये का खर्चा बताया इतना मुझे देना पडेगा। जबकि रजिस्ट्री के स्टाम्प का खर्चा मुझ प्रार्थी द्वारा वकील से दरातावेज पंजीयन हेतु तैयार करवाया है। जिसमें 100/- रूपये का स्टाम्प है इ चालान 500/- व एक ई चालान 26/- रूपये का है। कुल राशि 626/- रूपये हो रही है बाकी टाईप वगैरा का जो भी खर्चा होगा वो तहसील कार्यालय में सलूम्बर में लगेगा व मेरे द्वारा वहन कर ग्राम पंचायत उथरदा की पट्टे की रसीद सं. 6 पुस्तक सं. 76, ता. 5/4/17 को राशि 100/- की ही रसीद दी है। ग्राम पंचायत उथरदा सरपंच रजिस्ट्री करवाने के नाम से 5000/- पाँच हजार रूपये की रिश्वत ता. 26.1.22 सरपंच के निवास घर पर बताया था मै मेरे लिगल कार्य के लिये रिश्वत नहीं देना चाहता हू। मेरे सरपंच हिना बोड से निजी किसी प्रकार की लेन-देन नहीं है।

अतह कानूनी कार्यवाही करे।

स्थान :- एसडी  
उदयपुर मदनलाल  
27/1/22 ललित किशोर

भवदीय  
एसडी  
वालचन्द डांगी  
9588229439

### कार्यवाही पुलिस

दिनांक : 27.01.2022 समय करीब 01.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी वालचन्द डांगी पुत्र चतराजी डांगी निवासी उथरदा त. सलूम्बर जि. उदयपुर (राज) ने उपस्थित होकर हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया "कि प्रशासन गांवो के संग के अभियान में ता. 08/11/21 के महिने में मुझे प्रार्थी को पट्टा दिया गया था, यह पट्टा मेरे नाम पर ग्राम पंचायत उथरदा द्वारा जारी किया गया था। उक्त पट्टा मेरे निवास घर का है इस पट्टे की रजिस्ट्री सलूम्बर रजिस्ट्रा कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करवाने है। मैने इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत उथरदा के सरपंच श्रीमति हिना बोड से सम्पर्क किया तो उसने कहां की एक महा के बाद के बाद रजिस्ट्री करवाउगी मेरे द्वारा काफी निवेदन करने पर कहा कि सलूम्बर आने का खर्चा लगेगा। सभी पंचायत वाले रजिस्ट्री का खर्चा लेते है। आपको भी खर्चा-पानी देना पडेगा मेरे द्वारा काफी निवदेन करने पर 5000/- पाँच हजार रूपये का खर्चा बताया इतना मुझे देना पडेगा। जबकि रजिस्ट्री के स्टाम्प का खर्चा मुझ प्रार्थी द्वारा वकील से दरातावेज पंजीयन हेतु

